भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 77
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

शिवहर में विमानपत्तन का निर्माण

***77. श्रीमती लवली आनंदः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिवहर क्षेत्र में विशेषकर पुनौरा धाम (सीतामढ़ी) में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां विमान सेवाओं की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई वाणिज्यिक और तकनीकी अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दरभंगा और पटना स्थित निकटतम विमानपत्तन काफी दूर होने के कारण तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सड़क मार्ग से लंबी यात्रा करनी पड़ती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार पुनौरा धाम से सटे शिवहर जिले में एक नए विमानपत्तन के निर्माण अथवा क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-'उड़ान' के अंतर्गत विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार राज्य सरकार के परामर्श से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"शिवहर में विमानपत्तन का निर्माण" के संबंध में श्रीमती लवली आनंद द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 77* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें उपयुक्त स्थल को चिह्नित करना होगा और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराना होगा तथा 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। साइट क्लीयरेंस प्राप्त करने के पश्चात, परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होती है और इसे सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु किए गए आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता है।

शिवहर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए साइट क्लीयरेंस हेतु किसी भी हवाईअड्डा विकासकर्ता से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आरसीएस-उड़ान योजना का उद्देश्य, देश में मौजूदा असेवित और अल्पसेवित हवाईपट्टियों को संपर्क प्रदान करना है।
